GCMS 2024/234

फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर, चौमूं

सुण्डा बनाम हरिराम वगै0

मुकदमा नम्बर :- 111 / 2024 — वाद पत्र धारा 53, 188 आर.टी.एक्ट.

कम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
	10.10.2024	वकील वादीया ने वाद पत्र पेश किया। रिपोर्ट दफ्तर हो चुकी है। धारा 80(2) सी0पी0सी0 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। दावा दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण की तलबी की जाकर पत्रावली दिनांक 07.11.2024 को पेश हो।	
	07/11/24	व. वादी उप.। प्रतिवादीगण की रजि. एडी. रसीदें पेश की। ले शा.कि. हो पत्रावली बाद तलबी दिनांक 27/11/24 को पेश हो।	
	27/11/24	व. वादी उप.। प्रतिवादी सं. 1 ता 4 की रजि.एडी रसीदों को 1 माह से अधिक का समय हो चुका है अत: इनकी ओर से कोई उप. नहीं है अत: इनकी तामील मानी जाकर इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाती है। वकील वादी ने वाद का प्राथमिक डिक्री नक्शे मौका को प्राथमिकता देते हुए बाद विभाजन एवं बाउण्ड्री तकसीम किये जाने का निवेदन किया। वादी का वाद रहवास/मकानात व रास्ते की सुविधा को ध्यान में रखते हुए ~~नक्शे~~ नक्शे मौका के आधार पर बाद विभाजन एवं बाउण्ड्री तकसीम किया जाता है प्राथमिक डिक्री जारी हो। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शा.कि. किया गया। तहसीलदार चौमूं को [illegible] हेतु तहरीर जारी हो। पत्रावली वास्ते ~~[illegible]~~ [illegible] में रहकर आगामी दिनांक 11/12/24 को पेश हो।	मुताबिक नक्शे मौका व बाद भौतिक तकसीम किया जाता है तो उस बाबत आपत्ति नहीं है

सहायक कलक्टर चौमूं (जयपुर)

वादि ... काजोलैस / कार्य
रि: ... स पत्रावली गत
आ: ... 18/12/24
को पेश की। [signature]

11/12/24

18/12/24

व. वादी उप०। कुर्रेजात रिपोर्ट प्राप्त हुयी। जो शा०कि० की गयी। बहस कुर्रेजात रिपोर्ट पर सुनी गयी। वकील वादी ने मुताबिक कुर्रेजात के अनुसार पाड के अन्तिम डिक्री किये जाने का निवेदन किया। बहस पर मनन किया गया। कुर्रेजात रिपोर्ट व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। वादी का पाड मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट के अनुसार अंतिम डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अन्तिम डिक्री जारी की। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शा०कि० किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर के बाद तथा दाखिल दफ्तर हो।

मुताबिक कुर्रेजात डिक्री [illegible] श्री [illegible] मोडी जारी [illegible]

[signature]
(जे. पी. यादव)
[illegible]
R/654/2004

सहायक कलक्टर
चौमूँ (जयपुर)

मु0सं0–111/2024
उनवान–सुण्डा बनाम हरिराम वगै0
निर्णय दिनांक:–18.12.2024

न्यायालय सहायक कलक्टर चौमूँ, जिला जयपुर (ग्रामीण)

पीठासीन अधिकारी :–प्रियंका बड़गूजर (R.A.S.)

मुकदमा नम्बर :–111/2024

उनवान

सुण्डा पुत्र रुडा, जाति जाट, निवासी ग्राम नांगल कलां, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

–वादी–

बनाम

1. हरिराम पुत्र फूलचंद, जाति जाट, निवासी ग्राम नांगल कलां, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार महोदय चौमूं, जिला जयपुर।
3. श्रीमान उपपंजीयक महोदय, उपपंजीयन कार्यालय गोविन्दगढ़, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
4. एस0बी0आई0 बैंक, जरिये शाखा प्रबंधक, शाखा खेजरोली, जिला जयपुर।

–प्रतिवादीगण–

वाद बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक:–18.12.2024

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। वकील वादी को सुना गया। वकील वादी द्वारा वाद पत्र में प्राथमिक डिक्री के अनुसार आए कुर्रेजात रिपोर्ट दिनांकित 10.12.2024 पर सहमति जताते हुए वादपत्र को अंतिम डिक्री किये जाने का निवेदन किया गया। पत्रावली में सुना गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात, प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट का गहनता से अवलोकन किया गया। वादपत्र तकासमा का है व खातेदारों का रिकॉर्ड व मौके के अनुसार तकासमा किया जाना है। अतः मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट दिनांक 10.12.2024 वाद को अन्तिम डिक्री किया जाता है एवं विवादग्रस्त भूमि वाके ग्राम नांगल कलां, तहसील चौमूं, जिला जयपुर में वर्तमान खसरा नं0 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228 कुल किता 8 का कुल रकबा 4.31 हैक्टेयर भूमि का बंटवारा निम्नानुसार किया जाता है:–

1. सुण्डा पुत्र रुड़ा, जाति जाट, सा0 देह खातेदार रहन एस0बी0आई0 शाखा चौमूं के हिस्से में खसरा नम्बर 222/2 रकबा 0.0650 है0, खसरा नम्बर 223 रकबा 0.0200 है0, खसरा नम्बर 224/1 रकबा 0.2150 है0, खसरा नम्बर 225 रकबा 0.3300 है0,

सहायक कलक्टर
चौमूँ (जयपुर)

मु0सं0–111/2024
उनवान–सुण्डा बनाम हरिराम वगै0
निर्णय दिनांक:–18.12.2024

खसरा नम्बर 226 रकबा 0.4900 है0, खसरा नम्बर 227 रकबा 0.0100 है0, खसरा नम्बर 228/2 रकबा 1.0050 है0, कुल किता 7 का कुल रकबा 2.1350 हैक्टेयर भूमि जो प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी, जोकि नजरी नक्शे में हरे रंग से दर्शायी गई है।

2. हरिराम पुत्र फूलचन्द, जाति जाट, सा0 देह खातेदार रहन एस0बी0बी0जे0 शाखा खेजरोली के हिस्से में खसरा नम्बर 221 रकबा 1.4500 है0, खसरा नम्बर 222/3 रकबा 0.2700 है0, खसरा नं0 224/2 रकबा 0.4150 है0, कुल किता 3 का कुल रकबा 2.1350 हैक्टेयर भूमि जो प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी, जोकि नजरी नक्शे में गुलाबी रंग से दर्शायी गई है।

3. सुण्डा पुत्र रुड़ा हिस्सा 1/2 जाति जाट सा0 देह खातेदार रहन एस0बी0आई0 शाखा चौमूं, हरिराम पुत्र फूलचन्द हिस्सा 1/2 जाति जाट सा0 देह खातेदार रहन एस0बी0बी0जे0 शाखा खेजरोली के हिस्से में खसरा नम्बर 228/1 रकबा 0.0350 है0, खसरा नम्बर 222/1 रकबा 0.0050 है0, कुल किता 2 का कुल रकबा 0.0400 हैक्टेयर भूमि जो प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी, जोकि नजरी नक्शे में पीले रंग से दर्शायी गई है।

अंतिम डिक्री जारी हो। नजरी नक्शा डिक्री व निर्णय का जुज रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 18.12.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
चौमूं (जयपुर)

सहायक कलक्टर
चौमूं

मु0सं0–111 / 2024
उनवान–सुण्डा बनाम हरिराम वगै0
निर्णय दिनांकः–18.12.2024

डिक्री मुकददमा इब्तदाई
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय सहायक कलक्टर चौमूँ, जिला जयपुर (ग्रामीण)
पीठासीन अधिकारी :–प्रियंका बड़गूजर (R.A.S.)

उनवान

सुण्डा पुत्र रुडा, जाति जाट, निवासी ग्राम नांगल कलां, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

–वादी–

बनाम

1. हरिराम पुत्र फूलचंद, जाति जाट, निवासी ग्राम नांगल कलां, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार महोदय चौमूं, जिला जयपुर।
3. श्रीमान उपपंजीयक महोदय, उपपंजीयन कार्यालय गोविन्दगढ़, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
4. एस0बी0आई0 बैंक, जरिये शाखा प्रबंधक, शाखा खेजरोली, जिला जयपुर।

–प्रतिवादीगण–

वाद बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा नम्बर :–111 / 2024

ये मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कई रूबरू हाजरी वकील वादी मिनजामिन मुददई रूबरू प्रियंका बड़गूजर आरएएस मिनजामिन मुददायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि–

विवादित भूमि वाके ग्राम नांगल कलां, तहसील चौमूं, जिला जयपुर में वर्तमान खसरा नं0 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228 कुल किता 8 का कुल रकबा 4.31 हैक्टेयर भूमि का मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट दिनांक 10.12.2024 के अनुसार निम्न प्रकार से बंटवारा किया जाता है:–

1. सुण्डा पुत्र रुड़ा, जाति जाट, सा0 देह खातेदार रहन एस0बी0आई0 शाखा चौमूं के हिस्से में खसरा नम्बर 222 / 2 रकबा 0.0650 है0, खसरा नम्बर 223 रकबा 0.0200 है0, खसरा नम्बर 224 / 1 रकबा 0.2150 है0, खसरा नम्बर 225 रकबा 0.3300 है0, खसरा नम्बर 226 रकबा 0.4900 है0, खसरा नम्बर 227 रकबा 0.0100 है0, खसरा नम्बर 228 / 2 रकबा 1.0050 है0, कुल किता 7 का कुल रकबा 2.1350 हैक्टेयर भूमि जो प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी, जोकि नजरी नक्शे में हरे रंग से दर्शायी गई है।

सहायक कलक्टर
चौमूँ (जयपुर)

मु0सं0–111/2024
उनवान–सुण्डा बनाम हरिराम वगै0
निर्णय दिनांकः–18.12.2024

हरिराम पुत्र फूलचन्द, जाति जाट, सा0 देह खातेदार रहन एस0बी0बी0जे0 शाखा खेजरोली के हिस्से में खसरा नम्बर 221 रकबा 1.4500 है0, खसरा नम्बर 222/3 रकबा 0.2700 है0, खसरा नं0 224/2 रकबा 0.4150 है0, कुल किता 3 का कुल रकबा 2.1350 हैक्टेयर भूमि जो प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी, जोकि नजरी नक्शे में गुलाबी रंग से दर्शायी गई है।

3. सुण्डा पुत्र रुड़ा हिस्सा 1/2 जाति जाट सा0 देह खातेदार रहन एस0बी0आई0 शाखा चौमूं, हरिराम पुत्र फूलचन्द हिस्सा 1/2 जाति जाट सा0 देह खातेदार रहन एस0बी0बी0जे0 शाखा खेजरोली के हिस्से में खसरा नम्बर 228/1 रकबा 0.0350 है0, खसरा नम्बर 222/1 रकबा 0.0050 है0, कुल किता 2 का कुल रकबा 0.0400 हैक्टेयर भूमि जो प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी, जोकि नजरी नक्शे में पीले रंग से दर्शायी गई है।

निजी ....मबलिक .... बाबत ....खर्चा इस मुकदमे का मय सूद वगैरह .... फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलियाय तक .... को अदा करें।

बसरत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत के आज तारीख 18.12.2024 को जारी किया गया।

मोहर

दस्तखत............ सहायक कलेक्टर
ओहदा............ चौमूं (जयपुर)

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रुपया		रुपया
1. स्टाम्प अर्जी दावा 2. स्टाम्प वकालतनामा 3. स्टाम्प वजह सबूत 4. महन्ताना वकील 5. खर्चा गवाहन 6. फीस कमिश्नर 7.बाबत इजराय हुक्मनामा 8.मुतफरिक	4 2	1. स्टाम्प अर्जी दावा 2. स्टाम्प वकालतनामा 3. महन्ताना वकील 4. खर्चा गवाहन 5. फीस कमिश्नर 6.बाबत इजराय हुक्मनामा 7.मुतफरिक	0
जोड़	6	जोड़	0

सहायक कलेक्टर
चौमूं (जयपुर)